न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 28/2021

उनवान

मैसर्स वेगास्टान इन्डस्ट्रीज ब्यावर जरियें प्रोपराईटर प्रवीण जैन पुत्र सम्पत सिंह जैन निवासी विनोद नगर विस्तार, ब्यावर, अजमेर।

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 5.7.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के निम्न खसरा नम्बर की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है :–

वंकिंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3809	0.26	234	0.26
3810	0.13	235	0.33
3809	0.20		
3810	0.29	236	0.29
3810	0.07	243	0.14
3809	0.07		

उक्त आराजी प्रार्थी की क्रयशुदा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी पूर्व में कृषि भूमि थी। वर्तमान में उक्त आराजी को अकृषि कार्य औधोगिक प्रयोजनार्थ के लिये संपरिवर्तित करा लिया गया है। आराजी मुतनाजा के वंकिंग खसरा नम्बर 3809 व 3810 की आराजी का वंकिंग मानचित्र सही व दुरूस्त है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 232 व 233 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है की पूरब दिशा की सीमा प्रार्थी [illegible] की सीमा की तरफ लगभग 40 मीटर अधिक कर दी है। जो पूर्व मानचित्र में कम [illegible] उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आराजी मुतनाजा का मानचित्र वंकिंग मानचित्र अनुसार [illegible]

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये [illegible] तलब किया गया [illegible] पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 3809 व 3810 है। हाल मानचित्र में त्रुटि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:58:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कथन बाबत हल्का पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट ली गयी जिसके अनुसार वंर्किग मानचित्र व हाल मानचित्र की रकबा बरारी करने पर हाल मानचित्र में प्रार्थी के खेतो का रकबा 1014 वर्ग मीटर कम है। वर्तमान खसरा नम्बर 246 में से 117 वर्ग मीटर, 233 में से 624 वर्ग मीटर, 232 में से 273 वर्ग मीटर, कुल 1014 वर्ग मीटर को नवीन मानचित्र में शामिल करने पर हाल मानचित्र की आकृति मुताबिक वंर्किग मानचित्र होती है। जवाब के साथ हल्का पटवारी /भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पेश की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वर्किग खसरा नम्बर 3809 व 3810 का रकबा मानचित्र व रेकार्ड में सही है। किन्तु हाल राजस्व मानवित्र में आराजी मुतनाजा का इन्द्राज परिवर्तित कर दिया हल्का पटवारी/ भू अभिलेख निरीक्षक व राज0 पैरोकार के जवाब से भी प्रार्थी के कथनों की ताईद होती है। प्रकरण के खण्डन हेतु पत्रावली पर कोई तथ्य नही है। बंदोबस्त विभाग को राजस्व मानचित्र में बिना किसी आधार के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 234/0.26, 235/0.33, 236/0.29, 243/0.14 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शें अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 246 में से 117 वर्ग मीटर, 233 में से 624 वर्ग मीटर, 232 में से 273 वर्ग मीटर, कुल 1014 वर्ग मीटर को नवीन मानचित्र में प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर में शामिल करते हुये हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:58:33 IST
Reason: SelfAttested